न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 108/2020

1. बलवानसिंह पुत्र खमाणाराम जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।

:– **वादी**

ब ना म

1. महेन्द्रसिंह पुत्र खमाणाराम जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।
2. कृष्णकुमार पुत्र खमाणाराम जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।
3. जगदीश पुत्र खमाणाराम जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।
4. बलवीर पुत्र खमाणाराम जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।
5. सतवीर पुत्र खमाणाराम जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा : **वादी**
वकील श्री रविन्द्र मोठसरा : **प्रतिवादीगण**

दिनांक : 09.03.2021

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा गदरा के खाता सं0 82/78 के खसरा सं0 165 की 2.276है0, खसरा सं0 266 की 0.202है0, खसरा सं0 309 की 4.426है0 कुल 6.904है0 व रोही मोजा ढाका के खाता सं0 61/55 के खसरा सं0 153 कुल 3.478है0 व रोही मोजा ढाका के खाता सं0 62/54 की 10.825है0 बारानी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपर वर्णित भूमि में दर्ज करते समय वादी का नाम भानीराम पुत्र खमाणाराम दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम बलवानसिंह पुत्र खमाणाराम है। वादी के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, एवं अन्य सभी दस्तावेज बलवानसिंह पुत्र खमाणाराम के नाम से ही है। वादी का सभी दस्तावेजों में नाम बलवानसिंह पुत्र खमाणाराम ही दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:18 IST
Reason: SelfAttested

उक्त भूल सदभावी है। उक्त नाम में [illegible] नहीं होने पर वादी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। वादी उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए [illegible] उपरोक्त वर्णित कृषी भूमि व राजस्व रिकार्ड में अपना नाम बलवानसिंह पुत्र खमाणाराम करवाने का कानूनी अधिकारी है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं 1 ता 6 ने दावा की राभी, मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए जवाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में बलवानसिंह पुत्र खमाणाराम जाति जाट निवासी गदरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा गदरा के खाता सं0 82/78 संवत 2073–76 प्रदर्श 1, प्रमाणित प्रति जमाबंदी रोही ढाका के खाता सं0 62/54 संवत 2072–75 प्रदर्श 2, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 व 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मोजा गदरा के खाता सं0 82/78 के खसरा सं0 165 की 2.276है0, खसरा सं0 266 की 0.202है0, खसरा सं0 309 की 4.426है0 कुल 6.904है0 व रोही मोजा ढाका के खाता सं0 61/55 के खसरा सं0 153 कुल 3.478है0 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वादी का नाम दर्ज करते समय सवंहन से बलवानसिंह पुत्र खमाणाराम की जगह भानीराम पुत्र खमाणाराम दर्ज हो गया। जबकि वादी का सही नाम बलवानसिंह पुत्र खमाणाराम है। व रोही मोजा ढाका के खाता सं0 62/54 की 10.825है0 बारानी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वादी का नाम दर्ज करते समय सवंहन से बलवानसिंह पुत्र खमाणाराम की जगह बलवान पुत्र खमाणाराम दर्ज हो गया। जबकि वादी का सही नाम बलवानसिंह पुत्र खमाणाराम है। वादी ने अपना वाद साबित करने के लिए साक्ष्य में सभी दस्तावेज पेश किये जो बलवानसिंह के नाम से ही है। व रिपोर्ट पटवारी हल्का भनाई के मुताबिक नाम दुरूस्त किया जाना उचित है। इस प्रकार वादी अपना वाद साबित करने में सफल रहा। अतः वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा गदरा के खाता सं0 82/78 के खसरा सं0 165 की 2.276है0, खसरा सं0 266 की 0.202है0, खसरा सं0 309 की [illegible] 6.904है0 व रोही मोजा ढाका के खाता सं0 61/55 के खसरा सं0 153 कुल [illegible] खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें वादी का नाम [illegible] की जगह बलवानसिंह पुत्र खमाणाराम व रोही मोजा ढाका के खाता सं0 62/54 [illegible] 10.825है0 बारानी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें वादी का नाम बलवान पुत्र खमाणाराम की जगह बलवानसिंह पुत्र खमाणाराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

Scanned with CamScanner

दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच भानीराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में भानीराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए भी भानीराम के नाम ही प्रभावी माना जावेगा। तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 108/2020

1. बलवानसिंह पुत्र खमाणाराम जाति जाट निवारी गदरा त0 भादरा।

:- **वादी**

ब ना म

1. महेन्द्रसिंह पुत्र खमाणाराम जाति जाट निवारी गदरा त0 भादरा।
2. कृष्णकुमार पुत्र खमाणाराम जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।
3. जगदीश पुत्र खमाणाराम जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।
4. बलवीर पुत्र खमाणाराम जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।
5. सतवीर पुत्र खमाणाराम जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकिल वादी श्री संदीप गोदारा व वकील प्रतिवादीगगण रविन्द्र मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा गदरा के खाता सं0 82/78 के खसरा सं0 165 की 2.276है0, खसरा सं0 266 की 0.202है0, खसरा सं0 309 की 4.426है0 कुल 6.904है0 व रोही मोजा ढाका के खाता सं0 61/55 के खसरा सं0 153 कुल 3.478है0 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें वादी का नाम भानीराम पुत्र खमाणाराम की जगह बलवानसिंह पुत्र खमाणाराम व रोही मोजा ढाका के खाता सं0 62/54 की 10.825है0 बारानी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें वादी का नाम बलवान पुत्र खमाणाराम की जगह बलवानसिंह पुत्र खमाणाराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09.03.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner